स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं हेतु)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में ''लोक उपयोगी सेवाओं'' से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालतें जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा– 22क (ख) अनुसार लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित है:–

1. वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए यातायात सेवा, या
2. डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या
3. किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या
4. सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या
5. अस्पताल या औषधालय सेवा, या
6. बीमा सेवा, या
7. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, या
8. आवास और भू–संपदा

उपरोक्त लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत अन्य सेवा भी यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार लोक हित में अधिसूचना द्वारा सम्मिलित कर सकती है।

- **लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में स्थापित स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं हेतु) के समक्ष विवाद का पक्षकार कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।**

- **स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं हेतु) का गठन संबंधित सिविल जिले के निम्न अधिकारियों से होता है:–**

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण–अध्यक्ष
2. कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग–सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी– सदस्य

- **स्थायी लोक अदालत में आवेदन करने की प्रकिया, कार्यप्रणाली एवं अधिकार क्षेत्र:–**

✦ कोई पक्षकार, उपरोक्त ''सेवाओं'' से संबंधित विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन साधारण पेपर पर प्रस्तुत कर सकता है और आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को लिखित कथन फाईल करने का अधिकार होगा तथा समर्थन में अपने समस्त प्रमाण एवं दस्तावेज प्रत्येक पक्षकार प्रस्तुत कर सकेगा।

✦ स्थायी लोक अदालत सुलह की कार्यवाहियां करते समय या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चिय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तु निष्ठता, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होंगीं और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से स्थायी लोक अदालत आबद्ध नहीं होगी।

✦ आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य है कि आवेदन से संबंधित विवाद की सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करें और साक्ष्य तथा अन्य संबंधित दस्तावेज स्थायी लोक अदालत द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिए जाने पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

✦ सुलह की कार्यवाही के उपरान्त, प्रकरण में समझौते के तत्व विद्यमान होने और पक्षकारों को स्वीकार्य होने के आधार पर विवाद के संभाव्य समझौते के निबंधन को स्थायी लोक अदालत विरचित कर सकेगा और संबंधित पक्षकार को सूचित करते हुए पक्षकारों की सहमति के आधार हस्ताक्षर लेते हुए अधिनिर्णय पारित कर सकेगा, जिसकी एक–एक प्रति प्रत्येक संबंधित पक्षकार को दी जायेगी।

✦ पक्षकारों के मध्य सुलह के आधार पर प्रकरण का निराकरण न होने की स्थिति में स्थायी लोक अदालत द्वारा विवाद का विनिश्चिय गुण दोष पर किया जायेगा। (उपरोक्त के संबंध में **<u>कैनरा बैंक विरूद्ध जयारामा 2022 लाइव लॉ (एससी) 499 का विनिश्चय अवलोकनीय है)</u>**

✦ प्रत्येक जिले में स्थापित स्थायी लोक अदालत को उस सम्पूर्ण जिले की सीमा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है ।

- **कौन–कौन से प्रकरण स्थायी लोक अदालत में नही रखे जा सकेंगे**

1. किसी भी विधि के अधीन अशमनीय के रूप में उल्लेखित किसी अपराध से संबंधित विवाद के विषय में स्थायी लोक अदालत को अधिकारिता नहीं है।
2. लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आने

वाले मामलों की सुनवाई का कोई अधिकार नही होकर ऐसी लोक अदालत के समक्ष ऐसे मामले पोषणीय नही है।

3. ऐसे प्रकरण जिसमें विवाद वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है, की सुनवाई की अधिकारिता स्थायी लोक अदालत को नहीं है।

यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए किसी करार पर पहुंचने पर असफल रहते है, एवं यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर सकेगा, परन्तु पूर्ववर्ती शर्त यह है कि स्थायी लोक अदालत द्वारा पक्षकारों के मध्य अनिवार्य रूप से सुलह की कार्यवाही करते हुए प्रकरण के निराकरण का प्रयास किया गया हो ।

- **अधिनिर्णय एवं निष्पादन –**

लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए गठित स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा। उपरोक्त स्थायी लोक अदालत द्वारा गुणागुण के आधार पर या सुलह, समझौता करार के आधार पर दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होकर पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

- पारित अधिनिर्णय किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेजा जा सकेगा तथा सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो यह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।
- स्थायी लोक अदालत का अधिनिर्णय अंतिम है और उसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी। अधिनिर्णय से क्षुब्ध पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- स्थायी लोक अदालत के गठन से लोकोपयोगी सेवा से संबधित विवादों का न केवल शीघ्र निराकरण होगा बल्कि उसका फैसला भी अंतिम होगा, जिससे संबंधित पक्षकारों को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।

———000———

- **अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:–**

- सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से
- **उच्च न्यायालय स्तर पर–** उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से
- **जिला स्तर पर–** प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से
- **तहसील स्तर पर–** व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति से

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

कानूनी साक्षरता - हटाये दुर्बलता

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत

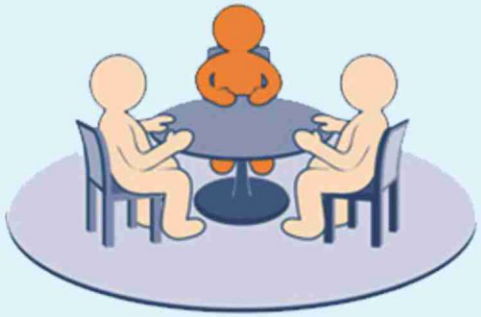

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574,साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

दूरभाषः (0761) 2678352, 2624131 फैक्सः 2678537

वेबसाइट : **www.mpslsa.gov.in**

ईमेल : **mplsajab@nic.in**

हेल्पलाइन नं. : **15100**